

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 389/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

विकास कुमार पुत्र जयनारायण जाति जाट साकिन निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. श्योराम पुत्र दलसुख जाति जाट साकिन निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
  2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
- प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादी  
श्री हितेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 29-07-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी को चक 1 एन.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 15/27 (36) किला नं. 9/2 की 0.1780 हैक्टर कमाण्ड पूर्वी पासा, किला नं. 11-12, 19 ता 22 की 1,5180 हैक्टर कुल 1.6960 हैक्टर भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 को चक 1 एन.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 15/20 (41) किला नं. 13 ता 18 की 1.5180 हैक्टर, 23/2 की 0.2400 हैक्टर, 24/2 की 0.2400 हैक्टर, 25/2 की 0.2400 हैक्टर कुल 2.2380 हैक्टर व पत्थर नं. 15/28 (40) की 21/2 की 0.2400 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.4780 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29-07-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर  
जिला हनुमानगढ़

